97

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एस.एस.अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3536/एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 04.10.2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 63/2015–16 अपील।

1 सैय्यद मुकरम अली पुत्र मोहम्मद अली
2 खुशबु पुत्री मोहम्मद अली
3 सगुप्ता पुत्री मोहम्मद अली
4 तस्लीम पुत्री मोहम्मद अली
निवासीगण – कस्बा बडौदा तहसील बडौदा जिला – श्योपुर (म.प्र.)

–– आवेदकगण

विरूद्ध

1 सबीना पत्नी स्व. साबिर अली
2 सोयब अली पुत्र स्व साबिर अली
3 हीना पुत्री स्व. साबिर अली पत्नी बंटी
4 विनिश पुत्र स्व. साबिर अली
5 सिमरन पुत्री साबिर अली
सभी निवासागीण – बडौदा तहसील बडौदा जिला श्योपुर म.प्र.
6 चांद बी पुत्री सैय्यद अली पत्नी अनवर
निवासी – बडौदा हाल निवासी डी.सी.एम. कॉलौनी कोठरी कोटा, राजस्थान
7 नूरजहां पुत्री सैय्यद अली पत्नी मुन्ना
निवासी – टोडी बाजार श्योपुर म.प्र.
8 गोमा पुत्री सैय्यद अली पत्नी उमर
निवासी – कुहांजापुर तहसील बडौदा जिला श्योपुर म.प्र.
9 सलमा पुत्री सैय्यद अली पत्नी आमीन
निवासी – गुलईया मोहल्ला श्योपुर म.प्र.
10 सितारा पुत्री सैययद अली पत्नी बेबू

निवासी – बडा इमामबाडा श्योपुर म.प्र.

11 शौकत अली पुत्र सैययद् अली
निवासी – बडौदा, हाल निवासी – भैंस पाडा, श्योपुर तहसील व जिला – श्योपुर म.प्र.

12 म.प्र. शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर म.प्र.

–– अनावेदकगण

श्री दिवाकर दीक्षित अभिभाषक आवेदकगण
श्री आर.डी. शर्मा अभिभाषक अनावेदक 6 से 11

आदेश

(आज दिनांक 17/07/2018)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 63/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 04.10.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि गैर निगरानीकर्तागण सबीना एवं अन्य ने अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष साबिर अली फौत वारिसान सबीना आदि के नाम से मोहम्मद अली फौत वारिसान सैययद मुकरन अली आवेदकगण के विरूद्ध एक अपील धारा 44 के तहत् कस्बा बडौदा की नामान्तरण पंजी क्रमांक 17 दिनांक 04.07.2006 आदेश दिनांक 29.07.2006 एवं पंजी क्रमांक 46 आदेश दिनांक 24.09.1999 से अंसतुष्ट होकर दिनांक 23.05.2016 को प्रस्तुत की गयी। जिसमें आवेदकगण ने उपस्थित होकर दिनांक 30.07.2016 को प्रकरण की प्रचलन शीलता पर आपत्ति पेश की गयी कि संहिता के उपबंधो के तहत् पृथक–पृथक आदेशो के विरूद्ध एक ही अपील पेश नहीं की जा सकती पृथक–पृथक आदेशो के विरूद्ध पृथक–पृथक अपीले होना

चाहिये पक्षकारो असंयोजन का भी मुद्दा उठाया गया और बताया कि अनावेदकगण द्वारा स्वच्छ मन एवं स्वच्छ हाथो से न आने की स्थिति को स्पष्ट करते हुये प्रश्नाधीन भूमि में 1/2 हिस्सा मानकर अपील पेश करना बताया जबकि पूर्व भूमि स्वामी के तीन वारिस थे इसलिये हिस्सा 1/2 ना होकर 1/3 था। साथ ही फौत पक्षकारो के विरूद्व अपील न चलने संबंधी भी आपत्ति ली गयी उक्त आपत्ति का जबाव 29.09.2016 को अनावेदकगण ने पेश किया और पेशी आवेदन पर बहस हेतु 04.10.2016 नियत की गयी। दिनांक 04.10.2016 को आवेदन पर बहस न सुनते हुये धारा 5 के जबाव तथा उसपर लिखित तर्क हेतु प्रकरण नियत कर दिया । उक्त दिनांक को आवेदकगण तथा अनावेदको ने प्रकरण में अंतिम बहस पेश कर दी जबकि प्रकरण आवेदन पर बहय हेतु नियत था। इस प्रकार आपत्ति का सर्वप्रथम निराकरण न करते हुये अग्रिम कार्यवाही नियम प्रक्रिया के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने कर दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि प्रकरण में किसी भी पक्षकार द्वारा कोई विधिक आपत्ति कभी उठायी जा सकती है, और उक्त आपत्ति का निराकरण सर्वप्रथम किया जाता है। तत्पश्चात् ही प्रकरण में आगे कार्यवाही की जा सकती है उक्त विधि के प्रावधान के विपरीत आवेदकगण द्वारा उठायी गयी विधिक आपत्ति दिनांक 30.07.2017 को जबाव देने के पश्चात् उक्त आवेदन पत्र पर बहस हेतु नियत करने के पश्चात् ही अधीनस्थ न्यायालय ने मनमानी पूर्वक आपत्ति का निराकरण न

करते हुये प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही धारा 5 के जबाव तथा उसपर बहस हेतु नियत कर दिया गया। अभिभाषक द्वारा यह भी बताया गया कि पृथक–पृथक आदेशो के विरूद्व पृथक–पृथक अपीले प्रस्तुत की जानी चाहिये जबकि वर्तमान प्रकरण में एक अपील पेश की गयी है जो निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह आपत्ति ली गयी थी कि अपील एक प्रकार से फौत पक्षकारो के विरूद्व पेश की गयी है जो प्रथम दृष्टया ही प्रचलन योग्य नही है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही एवं आदेश पारित किया है वह अपास्त किये जाने एवं निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदक की ओर से अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये है जिसमें मुख्य आधार लिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी का आक्षेपित आदेश दिनांक 04.10.2016 विधि संगत आदेश है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित अपील में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 एवं उसके आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत जबाव पर अभी विनिश्चयन किया जाना है अर्थात परिसीमा अधिनियम की धारा आवेदन पर अभी कोई विनिश्चयन ही नहीं किया गया है इस कारण वर्तमान आक्षेपित आदेश के विरूद्व पुनरीक्षण सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। पुनरीक्षण अंतरिम आदेश के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है, अंतरित आदेश दिनांक 04.10. 2016 द्वारा किसी पक्षकार के हित या विपक्ष में कोई आदेश पारित नही किया गया है अतः वर्तमान पुनरीक्षण प्रीमैच्योर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षो के अभिभाषक द्वारा किये गये तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो पर विचार करने एव अधीनस्थ न्यायालयो के अभिलेखो का

अवलोकन करने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदकगण की ओर से स्पष्ट आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी तब ऐसी स्थिति में आपत्ति का सर्वप्रथम निराकरण किया जाना चाहिये था क्योंकि आपत्ति का निराकरण न किये जाने से व्यक्तियो के अधिकार प्रभावित होते है। इसलिये आपत्तियो का निराकरण सर्वप्रथम किया जाना चाहिये, वर्तमान प्रकरण में दो पृथक–पृथक पंजीयो के विरूद्ध एक अपील प्रस्तुत की गयी है जोकि प्रथमतः प्रचलन योग्य ही नहीं है। क्योंकि पृथक–पृथक आदेशो के विरूद्ध पृथक–पृथक अपीले की जानी चाहिये प्रकरण में अपील फौत पक्षकारो के विरूद्ध पेश की गयी है जो प्रथमतः प्रचलन योग्य ही नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2016 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह पृथक–पृथक नामान्तरण पंजीयो के विरूद्ध पृथक–पृथक अपीले प्रस्तुत होने की दशा में न्यायालय उभय पक्षों की आपत्तियों पर विधिवत् विचार कर समुचित आदेश पारित करें।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर